10. निष्कर्ष एवं अनुशंसाएं

10.1 निष्कर्ष

रा.रा.क्षे. दिल्ली में 2013 में 0.80 लाख से 2018 में 2.51 लाख पंजीकृत आईपीसी अपराधों की तेजी से बढ़ती संख्या के साथ दिल्ली पुलिस को भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली पुलिस का कार्य जनशक्ति में 11 *प्रतिशत* से अधिक की कमी, कांस्टेबलों की अनियमित भर्ती एवं अपनी मौजूदा जनशक्ति की उप-इष्टतम तैनाती से प्रभावित हुआ। दिल्ली पुलिस में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 2013 में 7.16 *प्रतिशत* से 2019 में 11.75 *प्रतिशत* की लगातार वृद्धि के बावजूद 11.75 *प्रतिशत* ही रहा जो 33 *प्रतिशत* के वांछित लक्ष्य से काफी कम था।

चयनित पुलिस जिलो के 72 पुलिस स्टेशनों में से केवल एक में बीपीआर एण्ड डी द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार स्टाफ था। स्टाफ की अत्यधिक कमी ने पुलिस कर्मियों को भी भारी तनाव में रखा है क्योंकि निरीक्षण जाँच किए गए छः पुलिस जिलो में मॉडल पुलिस एक्ट 2006 के अन्तर्गत निर्धारित आठ घंटों की औसत दैनिक ड्यूटी के विरुद्ध 12 से 15 घंटे की रेंज में है। इस कमी का परिणाम अपराधों की जाँच में शामिल मूल कार्यों को करने के लिए जाँच टीमों की अपर्याप्त संख्या भी है। इसने अपराधियों के खिलाफ न्यायिक कार्यवाही में दिल्ली पुलिस की क्षमता को बाधित किया।

पुलिस स्टेशनों में बुनियादी सुविधाएँ भी अपर्याप्त थीं। निरीक्षण जाँच किए गए 72 पुलिस स्टेशनों (पी.एस.) में से कई पुलिस स्टेशनों में कार्य करने के लिए अनुकूल वातावरण जैसे बैरकों (किसी भी पी.एस. में महिला बैरक नहीं था, तीन पुलिस स्टेशन में पुलिस बैरक नहीं थे, 17 पी.एस. में पर्याप्त जगह नहीं थी), कैंटीन/मेस (बिना कैंटीन के चार, बिना पर्याप्त जगह के 23), किचन, परेड/प्लेग्राउंड (बिना खुली जगह के 47 पुलिस स्टेशन) इत्यादि हेतु आवश्यक सुविधाओं की कमी थी। जन सुविधाएँ जैसे स्वागत/प्रतीक्षा क्षेत्र (57 पुलिस स्टेशनों में पर्याप्त क्षेत्र की कमी), शौचालय (सभी 72 पुलिस स्टेशनों में स्टाफ व आगन्तुकों के लिए सार्वजनिक शौचालय), महिला हेल्प डेस्क (37 पुलिस स्टेशनों में खुले जगह में हेल्प डेस्क है) इत्यादि भी आवश्यक मानदण्डों के अनुरुप नहीं था। चयनित जिलो में पुलिस स्टेशनों ने वाहनों की कमी को भी वहन किया जिसने कानून व्यवस्था की स्थिति में शीघ्रता से प्रतिक्रिया करने की उनकी क्षमता को गंभीर रुप से सीमित कर दिया।

पुलिस कंट्रोल रूम ने भी बहुत अधिक संख्या में समस्याओं का सामना किया, जैसे ब्लैंक कॉल्स बहुत बड़ी संख्या में प्राप्त हुई थी। इन ब्लैंक कॉल्स ने कॉल्स लेने वालों को व्यस्त रखा, जिसके कारण जनता द्वारा की गई विपत्ति कॉल्स

छूट गई। इसके अतिरिक्त, विपत्ति कॉल्स का जवाब देने के लिए लिया गया समय सामान्य से बहुत अधिक था। निरीक्षण-जाँच किये गये मामलों में पीसीआर वैन ने 20 *प्रतिशत* मामलो में घटना स्थल तक पहुँचने में 30 मिनट से अधिक समय लिया। पीसीआर एमपीवी 6,171 की आवश्यकता के विरूद्व केवल 4141 पुलिस कर्मी के साथ संचालित हो रही थी तथा दिसम्बर 2018 तक 55 *प्रतिशत* एमपीवी बिना बन्दूकधारी के संचालित हो रही थी।

दिल्ली पुलिस की संचार प्रणाली मुख्य रुप से 20 साल पुरानी एपीसीओ प्रणाली पर निर्भर थी जो खराब प्रदर्शन दे रहा है चूँकि इसने 2009 में अपने 10 वर्षों के सामान्य जीवनकाल को पूरा कर लिया है। इसके अतिरिक्त पुलिस कर्मी हेतु पर्याप्त प्रतिस्थापन सेट नहीं खरीदे गये थे और इसलिए उपलब्ध कार्यात्मक वायरलेस सेट्स की संख्या कम होती जा रही है जबकि इस दौरान आवश्यकता में वृद्धि हुई है।

अप्रैल 2018 - मार्च 2019 के दौरान कुल 3870 कैमरों में से कार्यात्मक सीसीटीवी कैमरों का *प्रतिशत* 55 से 68 *प्रतिशत* था। उसी अवधि के दौरान में एकीकृत कमांड, नियंत्रण, समन्वय एवं संचार केन्द्र (सी4आई) जिन कैमरों की निगरानी की जा सकी उसकी प्रतिशतता केवल 22 से 48 *प्रतिशत* थी। शेष कैमरों से निगरानी फीड या तो दोषपूर्ण कैमरों या नेटवर्क संबंधी मामलों के कारण उपलब्ध नहीं थी।

स्पेशल सैल वांछित से कम कर्मियों, वाहनों, उपकरणों एवं प्रशिक्षण के साथ काम कर रहा था। चार पहिया और दो पहिया वाहनों की कमी के अलावा, बुलेट प्रुफ जैकटों की संख्या परिचालन/सक्रिय ड्यूटी पर तैनात कर्मियों की तुलना में बहुत कम थी।

स्पेशल सेल वांछित कर्मियों, वाहनों, उपकरण या प्रशिक्षण से कम के साथ कार्य कर रहा था। इसके अतिरिक्त चार पहिये एवं दो पहिये वाहनों की कमी थी एवं बुलेटप्रुफ जैकेट्स की संख्या परिचालन/सक्रिय ड्यूटी पर कर्मियों की तुलना में बहुत कम थी।

जुलाई 2019 तक दिल्ली पुलिस शत-*प्रतिशत* स्थानों पर सीसीटीएनएस के ऑनलाइन संस्करण का पूर्ण रूप से उपयोग कर रही थी, परन्तु किसी भी पुलिस स्टेशन ने माइग्रेटेड लीगेसी डाटा की वैधता को पूरा नहीं किया था। 'सेफ एण्ड सेक्योर दिल्ली' परियोजना विफल रही और ₹40 करोड़ की राशि के अनुदानों की परिहार्य हानि हुई।

बेंगलुरु पुलिस, हरियाणा पुलिस एवं मुम्बई पुलिस की व्यक्तिगत सुरक्षा एप्लीकेशनों की तुलना में दिल्ली पुलिस की 'हिम्मत ऐप' में अधिष्ठापित तथा कार्रवाई योग्य कॉल्स की कम संख्या, अत्याधिक अस्त व्यस्त हुआ युजर

इन्टरफेस, एवं प्रचार पर बहुत अधिक खर्च शामिल था। इसके अतिरिक्त, दिल्ली पुलिस के छः वेब-एप्लीकेशन सुरक्षित नहीं थे क्योंकि एचटीटीपीएस प्रोटोकॉल्स का उपयोग करके संचार सुरक्षित नहीं किया गया था। साथ ही, एफआईआर दर्ज करने के लिए ऑनलाईन फार्म भरते समय डाटा सत्यापन जाँच अपर्याप्त थी। दिल्ली पुलिस के आईटी सेल में प्रभावी कार्यप्रणाली के लिए सूचना प्रौद्योगिकी की बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रशिक्षित और कुशल कर्मियों की कमी है। इसके अलावा, दिशानिर्देशों का निर्धारण, केन्द्रीकृत अनुमोदन करना और तकनीकी विनिर्देश के निर्णय लेने के लिए दिल्ली पुलिस को एक समर्पित आईटी नीति की जरुरत है, जो आई.टी. में वांछित वृद्धि के लिए आवश्यक है।

उपरोक्त मामलों को संबोधित करना कमियों/त्रुटियों को कम करने में एक बड़ा कदम होगा, जो दिल्ली पुलिस को अपनी पूर्ण क्षमता तक पहुँचने में सक्षम बनायेगा।

10.2 अनुशंसाएं

- दिल्ली पुलिस को अगले दो से तीन वर्षों में सेवानिवृत्तियों/पदोन्तियों से उत्पन्न होने वाले रिक्तियों का आवधिक रुप से आकलन करना चाहिए। महत्वपूर्ण कमी और अपर्याप्त प्रशिक्षण सुविधाओं से बचने के लिए सेवानिवृत्ति, पदोन्नति व गृहमंत्रालय से प्राप्त संस्वीकृति के कारण उत्पन्न होने वाली रिक्तियों के विरुद्ध नियमित, अधिमानतः वार्षिक भर्ती करनी चाहिए।
- पुलिस स्टेशन जो कि पुलिसिंग की बेसिक एंड कटिंग ऐज यूनिट है 35 *प्रतिशत* की स्टाफ की कमी के साथ चल रहे हैं जबकि जिला मुख्यालयों में अतिरिक्त स्टाफ है। दिल्ली पुलिस एवं गृह मंत्रालय को पुलिस स्टेशनों के अलावा पुलिस की तैनाती एवं पुलिस स्टेशनों पर कमियों को कम करने के लिए युक्ति-संगत तैनाती की बारीकी से जाँच करनी चाहिए। इसी प्रकार, वाहनों की तैनाती को युक्ति-संगत बनाने की आवश्यकता है।
- दिल्ली पुलिस को पुलिस स्टेशनों में कार्य स्थल पर स्थितियों का आकलन करना चाहिए व बीपीआर एण्ड डी मानदंड को निश्चित समयावधि में पूरा करने के लिए उनके उन्नयन हेतु योजना बनानी चाहिए।
- आईवीआरएस ने ब्लैंक कॉल्स की भारी संख्या को छानने में सहायता की है, हालांकि अगर कॉल्स करने वाला उचित प्रतिक्रिया नहीं देता है तो कॉल्स स्वयं ही कट जाता है। यह गंभीर आपातकालों के मामलों में अनुपादक हो सकता है। दिल्ली पुलिस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचलित स्थिति पर विचार करना चाहिए। ब्लैंक कॉलर्स को प्रणाली के दूरुपयोग करने से रोकने के लिए दंडित किया जाना चाहिए।

- दिल्ली पुलिस को सुनिश्चित करना चाहिए कि एमपीवी बेड़े के लिए चिन्हित वाहनों को केवल निर्धारित उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाए न की अधिकारियों, पीसीआर लाईन इत्यादि जिसमें दैनिक विपत्ति कॉल्स की प्रतिक्रिया शामिल नहीं हैं। इन एमपीवी को पर्याप्त रुप से मानवयुक्त और सुसज्जित होना चाहिए।
- दिल्ली पुलिस नियत नियमों के साथ पुलिस कंट्रोल रूम में कॉल्स प्राप्त करने के कार्यों को निजी संचालक को आउटसोर्स करने पर विचार कर सकती है। इससे कॉल्स टेकर पदों पर बड़ी संख्या में तैनात पुलिस कर्मी कार्यमुक्त होंगे तथा उनकी तैनाती से कोर पुलिसिंग कार्यों को करने में मदद मिलेगी।
- दिल्ली पुलिस को अपनी 20 वर्ष पुरानी संचार प्रणाली के उन्नयन को अत्यधिक प्राथमिकता देनी चाहिए चूंकि यह अपनी 10 वर्ष की आयु से अधिक समय तक चल रहा है।
- दिल्ली पुलिस को आईटी परियोजनाओं को चरणबद्ध एवं पुनरावृतीय ढंग से कार्यान्वित करना चाहिए जिसमें यूजर इकाइयों तथा हितधारकों से सीख एवं प्रतिपुष्टि लेने के लिए पर्याप्त समय अंतराल हो।

नई दिल्ली **(राकेश मोहन)**
दिनांकः 05 अगस्त 2020 **प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली**

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली **(राजीव महर्षि)**
दिनांकः 05 अगस्त 2020 **भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक**